विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ₹ 568.99 करोड़ से सन्निहित कर, ब्याज इत्यादि का आरोपण नहीं किये जाने/कम आरोपण से संबंधित 37 कंडिकाएँ और एक निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले हैं। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

I. सामान्य

वर्ष 2011–12 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 51,320.17 करोड़ थी। कर राजस्व के ₹ 12,612.10 करोड़ और कर भिन्न राजस्व के ₹ 889.86 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ₹ 13,501.96 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ₹ 37,818.21 करोड़ (विभाज्य संघीय करों में राज्य का हिस्साः ₹ 27,935.23 करोड़ और सहायता अनुदानः ₹ 9,882.98 करोड़) की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कर राजस्व में राज्य सरकार का अपना योगदान कुल राजस्व का मात्र 26 प्रतिशत था।

(कंडिका 1.1.1)

दिसम्बर 2011 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं, जिनका निराकरण जून 2012 तक नहीं हो पाया था, की संख्या क्रमशः 3,858 एवं 20,979 थी जिसमें ₹ 8,754.19 करोड़ सन्निहित थे। 1,317 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, यद्यपि इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.7.1)

हमने वाणिज्य–कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की वर्ष 2011–12 के दौरान नमूना जाँच किया एवं 1,816 मामलों में ₹ 1,369.51 करोड़ के राजस्व का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष 2011–12 के दौरान संबंधित विभागों ने 499 मामलों में सन्निहित ₹ 246.47 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया।

(कंडिका 1.10.1)

II. वाणिज्य–कर

'वाणिज्य–कर विभाग में आंतरिक नियत्रंण प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित त्रुटियाँ संसूचित हुई :

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एक वस्तु पर मूल्यवर्द्धित कर की दर 12.5 प्रतिशत से चार प्रतिशत की कमी हेतु अधिसूचना जारी करने के कारण ₹ 43.96 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई।

(कंडिका 2.2.7.1)

स्टोन चिप्स, स्टोन बोल्डर तथा स्टोन बैलेस्ट पर प्रवेश कर की दर गलत आधार पर आठ प्रतिशत से चार प्रतिशत कम कर दी गयी, जिसके फलस्वरूप ₹ 20 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई।

(कंडिका 2.2.7.2)

कई अधिसूचनाएँ विद्यमान कानून के प्राधिकार एवं प्रक्रिया के अनुसार जारी नहीं किये गये थे।

(कंडिका 2.2.7.3 से 2.2.7.6)

मंत्री के निदेश के बावजूद वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार राजस्व की बड़ी राशि से वंचित हो रही है।

(कंडिका 2.2.8)

मार्च 2012 तक वाणिज्य–कर आयुक्त के न्यायालय में स्वप्रेरित पुनरीक्षण हेतु ₹ 135.52 करोड़ के कुल 344 मामले तथा अपीलीय न्यायालय में ₹ 623.92 करोड़ के 953 मामले लंबित थे।

(कंडिका 2.2.9)

विभाग द्वारा मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों का कम कवरेज था तथा वर्ष 2010–11 में मूल्यवर्द्धित कर लेखापरीक्षा हेतु व्यवसायियों के चयन हेतु मानदण्ड दोषपूर्ण था। लेखापरीक्षा योजना/नियंत्रण पंजी के अभाव में लेखापरीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई।

(कंडिका 2.2.10.2)

सर्वेक्षण तथा निरीक्षण करने हेतु कोई आवर्तन/लक्ष्य विहित/निर्धारित नहीं था।

(कंडिका 2.2.12.1)

सोलह नमूना जाँचित अंचलों में, निबंधित व्यवसायियों का 36.38 से 46.29 प्रतिशत ने अपना रिटर्न वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान जमा नहीं किया तथा व्यवसायियों द्वारा जमा किये गये लगभग 37 से 60 प्रतिशत रिटर्न असंवीक्षित रह गये।

(कंडिका 2.2.12.5)

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा रिटर्न की त्रुटिपूर्ण संवीक्षा/संवीक्षा नहीं किये जाने के फलस्वरूप उचित साक्ष्य द्वारा समर्थन के बिना कटौती का लाभ लिया गया तथा ₹ 29.71 करोड़ के मूल्यवर्द्धित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.2.12.5)

लेन–देन की तिर्यक जाँच से इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ लिये जाने तथा मूल्यवर्द्धित कर एवं प्रवेश कर के तहत आवर्त का छिपाव प्रकटित हुआ।

(कंडिका 2.2.13.1 से 2.2.13.3)

तेरह वाणिज्य–कर अंचलों में 30 व्यवसायियों द्वारा ₹ 89.80 करोड़ के विक्रय/क्रय आवर्त्त का छिपाव किये जाने के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 41.35 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.4)

नौ वाणिज्य–कर अंचलों में 12 व्यवसायियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित दावे के फलस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 100.92 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

(कंडिका 2.5)

तेरह वाणिज्य–कर अंचलों में कर के गलत दर लगाए जाने का पता नहीं लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 39.85 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.6)

सात वाणिज्य–कर अंचलों में प्रवेश कर का गलत दर लगाये जाने का पता नही लगने के फलस्वरूप ब्याज एवं आरोप्य अर्थदण्ड सहित ₹ 8.80 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.15)

III. राज्य उत्पाद

निविदा निष्पादन में विलम्ब के कारण वर्तमान आपूर्तिकर्त्ताओं को संविदा अवधि की समाप्ति के बाद 15 महीनों का अवधि विस्तार दिया गया।

(कंडिका 3.2.2.1)

वर्ष 2009–12 के दौरान राजस्व परिषद् से स्वीकृति के बिना जून 2009 में दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के थोक आपूर्तिकर्त्ताओं/बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड/खुदरा बिक्रेताओं को राज्य के 38 जिलों में उपभोक्ताओं के हित के प्रतिकूल क्रमशः ₹ 107.94 करोड़ और ₹ 4.21 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया।

(कंडिका 3.2.2.2 एवं 3.2.2.3)

चार उत्पाद जिलों में देशी शराब की लॉट, जो मानक के अनुसार नहीं बनाए गए थे या खपत योग्य नहीं थे, बिहार राज्य बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को खुदरा व्यापारियों को बिक्री हेतु, बिना पूरे लॉट जिससे नमूना एकत्र किया गया था, की त्रूटि का निवारण किए बगैर निर्गत किए गए थे।

(कंडिका 3.2.2.5)

दो उत्पाद जिलों में चालान पंजियों का संधारण नहीं किए जाने और कोषागार अभिलेखों से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा की गई राशि का उत्पाद अधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं किये जाने के फलस्वरूप सरकारी राजस्व का गबन हुआ।

(कंडिका 3.2.3)

IV. मोटर वाहनों पर कर

नौ जिला परिवहन कार्यालयों में सितम्बर 2005 और दिसम्बर 2011 के अवधि के बीच 517 परिवहन वाहनों से संबंधित ₹ 1.89 करोड़ के बकाये कर का न तो वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा ₹ 5.67 करोड़ (अर्थदण्ड सहित) के बकायों की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की गयी थी।

(कंडिका 4.3)

वर्ष 2008–09 से 2010–11 के अवधि के दौरान विभाग द्वारा स्वीकृत मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए माँग निर्गत नहीं किये जाने के फलस्वरूप बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से ₹ 148.05 करोड़ की राशि की वसूली नहीं हुई थी।

(कंडिका 4.11)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

अतिक्रमणकारियों का निष्कासन एवं भूमि को पुनः बंदोबस्त करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 2.47 करोड़ की सलामी और लगान की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.5)

दो नमूना जाँचित जिलों में यद्यपि बंदोबस्तधारियों ने लीज के शर्तों का उल्लंघन किया था, विभाग लीज को निरस्त करने के साथ–साथ नई लीज किये जाने में विभाग विफल रहा। इसके फलस्वरूप ₹ 130.93 करोड़ के सलामी और लगान की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 5.6.1)

प्रेषित मामलों का निष्पादन नहीं किये जाने के कारण ₹ 21.49 लाख की सरकारी राजस्व अवरूद्ध रहा।

(कंडिका 5.9)

VI. कर भिन्न प्राप्तियाँ

सात जिलों में वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 ईंट मौसम के दौरान 435 ईंट भट्ठे, समेकित रॉयल्टी की राशि का भुगतान किए बगैर/आंशिक भुगतान कर परिचालित थे, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ की रॉयल्टी की वसूली नहीं/कम हुई।

(कंडिका 6.3.1)

चार जिलों में 15 चूककर्त्ता पत्थर खनन लीजधारियों से ब्याज सहित ₹ 3.47 करोड़ की निलामी राशि की वसूली नहीं हुई थी।

(कंडिका 6.6)